भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1923

02 अगस्त, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुष्मान भारत कार्ड

1923. श्री रविंद्र दत्ताराम वाइकर:

डॉ. जयंत कुमार राय:

डॉ. निशिकान्त दुबे:

श्री उमेषभाई बाबूभाई पटेल:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना (पीएमएबीवाई) के अंतर्गत जारी किए गए आयुष्मान भारत कार्डों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार और विशेषत: झारखंड, महाराष्ट्र दमन और दीव, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में संख्या कितनी है;

(ख) दमन और दीव में आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा आज तक जारी किए गए कार्डों का ब्यौरा क्या है और उक्त योजना के अंतर्गत राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितने लोगों को लाभ मिला है;

(ग) क्या दमन और दीव में हर वर्ष जनवरी से अप्रैल के बीच की अवधि के दौरान लोगों को आयुष्मान कार्ड जारी किए जाते हैं और मई से दिसंबर की अवधि के दौरान गरीब लोगों के लिए उपचार का लाभ उठाना संभव है और यदि हां, तो राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार हर महीने आयुष्मान कार्ड जारी करने का विचार रखती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और समय-सीमा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) उक्त योजना के अंतर्गत प्रदान किए जा रहे/प्रदान किए जाने के लिए प्रस्तावित लाभों का ब्यौरा क्या है तथा वे कौन से राज्य/संघ राज्यक्षेत्र हैं जहां अभी तक यह योजना कार्यान्वित नहीं की गई है?

<u>उत्तर</u>

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतापराव जाधव)

(क): दिनांक 30.06.2024 तक की स्थिति के अनुसार, देश में आयुष्मान भारत प्रधान-मंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के तहत 34.7 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। एबी-पीएमजेएवाई के तहत बनाए गए आयुष्मान कार्डों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुलग्नक-I में**

दिया गया है। यह योजना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, पश्चिम बंगाल और ओडिशा को छोड़कर 33 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही है।

(ख): दिनांक 30.06.2024 तक की स्थिति के अनुसार, इस योजना के तहत एक लाख करोड़ रुपये की कीमत के कुल 7.37 करोड़ व्यक्तियों को अस्पताल में प्रवेश दिया गया है। इस योजना के अंतर्गत अस्पतालों में प्राधिकृत दाखिलों की संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुलग्नक-II में दिया गया** है।

(ग) और (घ): योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थी अपना आयुष्मान कार्ड किसी भी समय अर्थात पूरे वर्ष भर बना सकते हैं। पात्र लाभार्थी या तो आयुष्मान ऐप का उपयोग करके स्वयं कार्ड बना सकते हैं या अपना आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए निकटतम सीएससी या पैनलबद्ध अस्पताल में जा सकते हैं।

दमन और दीव तथा दादरा नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र में एबी-पीएमजेएवाई (अर्थात एपीएल परिवारों) के तहत आने वाले व्यक्तियों के अलावा अन्य निवासियों के लिए एबी-पीएमजेएवाई पारिस्थितिकी तंत्र का उपयोग करके एक सह-योगदान योजना लागू कर रहा है। यह योजना पूरी तरह से संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा प्रबंधित की जाती है। इस योजना के लिए संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने फरवरी से अप्रैल तक नामांकन की अवधि तय की है।

(ङ): एबी-पीएमजेएवाई का उद्देश्य लगभग 55 करोड़ लाभार्थियों को मध्यम और विशिष्ट परिचर्या उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य कवर प्रदान करना है, जिसमें भारत की आबादी के सबसे निचले स्तर के 40% अर्थात 12.34 करोड़ परिवार शामिल हैं। पात्र लाभार्थी देश के 29,000 से अधिक पैनलबद्ध अस्पतालों में भर्ती होने से संबंधित कैशलेस और पेपरलेस स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। स्वास्थ्य लाभ पैकेज (एचबीपी) के अद्यतन राष्ट्रीय मास्टर में, यह योजना सामान्य चिकित्सा, सर्जरी, कार्डियोलॉजी, ऑन्कोलॉजी आदि सहित 27 चिकित्सा विशिष्टताओं की 1949 प्रक्रियाओं से संबंधित कैशलेस स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करती है।

अनुलग्नक-I

एबी-पीएमजेएवाई के तहत बनाए गए आयुष्मान कार्डों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आयुष्मान कार्ड की संख्या (लाख में)
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.72
आंध्र प्रदेश	155.67
अरुणाचल प्रदेश	1.41
असम	174.37
बिहार	295.26
चंडीगढ़	1.88
छत्तीसगढ़	222.01
दादरा और नगर हवेली दमन और दीव	0.14
गोवा	0.82
गुजरात	255.95
हरियाणा	119.84
हिमाचल प्रदेश	13.27
जम्मू और कश्मीर	85.94
झारखंड	121.95
कर्नाटक	171.46
केरल	76.70
लद्दाख	1.89
लक्षद्वीप	0.35
मध्य प्रदेश	402.45
महाराष्ट्र	279.90
मणिपुर	6.13
मेघालय	19.76
मिजोरम	5.63
नागालैंड	7.15
पुडुचेरी	5.09
पंजाब	87.97
राजस्थान	217.10
सिक्किम	0.77
तमिलनाडु	73.59
तेलंगाना	82.51
त्रिपुरा	19.61
उत्तर प्रदेश	511.16
उत्तराखंड	57.08

अनुलग्नक- II

एबी-पीएमजेएवाई के तहत अधिकृत अस्पताल में प्रवेश की संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	**अधिकृत अस्पताल के दाखिलों की संख्या**
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2,912
आंध्र प्रदेश	6,549,443
अरुणाचल प्रदेश	2,807
असम	1,138,225
बिहार	1,130,122
चंडीगढ़	50,749
छत्तीसगढ़	6,036,955
दादरा और नगर हवेली और दमन व दीव	129,002
गोवा	7,105
गुजरात	5,537,440
हरियाणा	1,560,290
हिमाचल प्रदेश	280,605
जम्मू और कश्मीर	1,313,376
झारखंड	2,094,180
कर्नाटक	8,693,558
केरल	6,265,298
लद्दाख	15,381
लक्षद्वीप	1,065
मध्य प्रदेश	4,278,784
महाराष्ट्र	1,941,236
मणिपुर	164,850
मेघालय	822,207
मिजोरम	130,184
नागालैंड	72,703
पुडुचेरी	89,511
पंजाब	2,136,925
राजस्थान	5,420,065
सिक्किम	20,520
तमिलनाडु	10,371,732
तेलंगाना	1,662,356
त्रिपुरा	336,073
उत्तर प्रदेश	4,356,280
उत्तराखंड	1,168,945

*****